

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

गु.नं 93/17 तारीख रज 9.5.17

उनवान - गथाबाई वनामा काडूरुजर
निसुरा
प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री राजकुमार सिंह Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमा बन्दीय शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से पानन्द किया जाता है कि ग्राम सहजनपुर की भूमि ख. नं 333-2 तथा 38 ऐयर, 234 रकबा 36 ऐयर कुल कित 2 कुल रकबा 64 ऐयर भूमि को आगामी पेशी तक रिकार्ड की अस्थास्थिति वनोत्पन्न रहे। प्रार्थनापत्र दर्ज तिथि रज 9.5.17 के अस्थास्थिति को जरिये नोटिस से तलाब कर दिनांक 4-7-17 को पेश हो।

601-1602
9.5.17



उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (ब.ग.सी.)

4.7.17

वादी वकील उप/प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री हंटराम रज Adv. ने बकालतनामा पेश किया। अर्थात् 2 अवजूर सूचना उप. नं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कामवाली की जाती है। अब ब. जति. नं. 1 का पेशी कर दिनांक 5.7.17 को पेश हो।

काडूरुजर


5.7.17 वकूलाय उपजिला/पीएस न अधिकारी
के.एम. है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 5.7.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

12.7.17 वकूलाय उपाधित | वकील उभयपक्ष की वदल सुनी गई | वदल पर मनन किया / पत्रावली का भवलोकाज किया | विवादित इलाजीपात गुम निहरा ख. नं. 233 रकबा 0.38 है, 234 रकबा 0.26 है वकूलाय का दावा प्राथमिक डिडी किया गया है विवादित इलाजीपात की रिकार्ड मौके कानोपे रविने हेतु दिनांक 9.5.17 को जारी की गई भूतमि इलाजी निवेदाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाना उचित उगीत होता है

इतः उभयपक्ष कौरो को यावद किया जाता है कि गुम निहरा की भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.38 है, 234 रकबा 0.26 है पर रिकार्ड की दावा के फैसला होने तक कयास्थिति कानोपे रखे पत्रावली फैसल शुभगु होकर नम्बर ले कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


 जगदीश आर्य
 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम